राजस्व वाद संख्या:–173/2023
ओमप्रकाश बनाम मदनलाल वगै0
निर्णय दिनांक:– 06.02.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:–

श्री सुशील सैनी(आर.ए.एस.)

मु0नं0 173/2023

01. औमप्रकाश पुत्र श्री स्व. प्रहलाद उर्फ प्रहलाद राय जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 10 पिलानी, तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।
02. जगदीश पुत्र श्री स्व. प्रहलाद उर्फ प्रहलाद राय जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 10 पिलानी, तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।
03. टिल्लूराम पुत्र श्री स्व. प्रहलाद उर्फ प्रहलाद राय जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 10 पिलानी, तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।
04. राजेन्द्र सैनी पुत्र श्री स्व. प्रहलाद उर्फ प्रहलाद राय जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 10 पिलानी, तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।
05. मु0 बिमला आयु 60 वर्ष पुत्री स्व. प्रहलाद राय स्त्री बाबुलाल, जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा तहसील पिलानी हाल निवासी नानूवाली बावडी, खेतडी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू।
06. छाजुराम आयु 45 वर्ष पुत्र श्री स्व. हनुमान प्रसाद जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 10 पिलानी तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू।
07. शुभकरण आयु 41 वर्ष पुत्र श्री स्व. हनुमान प्रसाद जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 10 पिलानी तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू।

––वादीगण

बनाम

01. मदनलाल पुत्र श्री स्व. श्योनारायण उर्फ शिवकरण जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड नं0 34 पिलानी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं।
02. नोरंगलाल पुत्र श्री स्व. श्योनारायण उर्फ शिवकरण जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड नं0 34 पिलानी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं।
03. बिहारी पुत्र श्री स्व. श्योनारायण उर्फ शिवकरण जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड नं0 34 पिलानी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं।
04. राजेन्द्र पुत्र श्री स्व. श्योनारायण उर्फ शिवकरण जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड नं0 34 पिलानी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं।
05. मु0 बसन्ती पुत्री स्व0 श्योनारायण उर्फ शिवकरण स्त्री बीरबल जाती माली निवासी राजपुरा वार्ड नं0 34 पिलानी तहसील पिलानी हाल निवासी मेवरिया की ढाणी तन सिघांना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
06. मु0 पाना पुत्री स्व0 श्योनारायण उर्फ शिवकरण स्त्री भोलाराम जाती माली निवासी राजपुरा वार्ड नं0 34 पिलानी तहसील पिलानी हाल निवासी माता वाली ढाणी नारनौल रोड सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
07. मु0 मीरा पुत्री स्व0 श्योनारायण उर्फ शिवकरण स्त्री विश्वनाथ जाती माली निवासी राजपुरा वार्ड नं0 34 पिलानी तहसील पिलानी हाल निवासी डालमिया की ढाणी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
08. श्रीमती पतासी देवी स्त्री स्व0 नागरमल जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 34 पिलानी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

09. पवन पुत्र श्री स्व0 नागरमल जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 34 पिलानी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

10. मु0 ललिता पुत्री स्व. श्री नागरमल स्त्री विष्णु जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 34 पिलानी हाल निवासी मेवरिया की ढाणी तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

11. मु0 मुन्नी पुत्री श्री स्व0 नागरमल स्त्री राजेन्द्र प्रसाद, जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 34 पिलानी हाल निवासी धोलिया कुआं रेल्वे स्टेशन के पास लोहारू तहसील लोहारू जिला भिवानी।

12. मु0 सन्तोष पुत्री स्व0 श्री हनुमान प्रसाद स्त्री बजरंग जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 10 पिलानी हाल निवासी खटिका की ढाणी बुडाना तहसील एवं जिला झुन्झुनू।

13. मु0 आचा पुत्री स्व. हनुमान प्रसाद स्त्री सीताराम जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 10 पिलानी हाल निवासी धीरा की ढाणी पोस्ट अलीपुर तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू।

14. मु0 मन्जू पुत्री स्व. हनुमान प्रसाद स्त्री रमेश जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न. 10 पिलानी हाल निवासीधीरा की ढाणी पोस्ट अलीपुर तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू।

15. मु0 सिलोचना पुत्री स्व. हनुमान प्रसाद स्त्री विनोद जाति माली निवासी मोहल्ला राजपुरा वार्ड न0 10 पिलानी हाल निवासी वार्ड न. 19 सूरजगढ तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू।

16. महेन्द्र पुत्र गजानंद, जाति माली निवासी वार्ड न. 19 सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

17. विधाधर पुत्र माता स्व. लक्ष्मी पिता महेन्द्र जाति माली निवासी वार्ड न. 19 सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

18. रमेश पुत्र माता स्व. लक्ष्मी पिता महेन्द्र जाति माली निवासी वार्ड नं. 19 सूरजगढ तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू।

19. मु0 सरोज माता स्व. लक्ष्मी पिता महेन्द्र स्त्री हीरालाल जाती माली निवासी वार्ड न. 19 सूरजगढ हाल निवासी गुगोजी की ढाणी चिडावा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू।

20. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबंधक ।

21. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा लोहारू रोड पिलानी तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू।

22. राजस्थान सरकार भुमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

——————प्रतिवादीगण

उपस्थितः– वादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>निर्णय</u>

वादी गण ने घोषणार्थ , रिकार्ड दुरूस्ती , स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमीन गत खसरा नम्बर 101 रकबा 44 बीघा 04 बीसवा वाके सरहद कस्बा पिलानी स्थित है, जिसके दौराने सेटलमैन्ट हाल खसरा नम्बर 274 रकबा 1.66 है0, हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 2.45है0, हाल खसरा नम्बर 281 रकबा 3.96 है0 ,हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

म्बर 282 रकबा 2.46 है0, हाल खसरा नम्बर 1185/273 रकबा 0.65 है0, कुल किता 05 कुल रकबा 11.18 है0 बने हैं। उक्त कृषि भुमि में हाल खसरा नम्बर 274 रकबा 1.66 है0 व हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.11 है0 का ही विवाद है ।

वादीगण ने बताया कि कस्बा पिलानी में कुरडा पुत्र केशु जाति माली नामक व्यक्ति हुआ । उक्त कुरडा जाति धर्म से हिन्दु था व मिताक्षरा विधि से शासित था। उक्त कुरडा का देहान्त सन 1993 मे हिन्दु रहते हुए हो गया व उसकी स्त्री का भी देहान्त हो गया।

उक्त कुरडा के विधिक प्रतिनिधिगण पुत्र हनुमान प्रसाद व प्रहलाद उर्फ प्रहलाद राय हुए।

उक्त हनुमान प्रसाद पुत्र कुरडा का देहान्त सन् 2003 में हो गया तथा उसकी स्त्री जुगी देवी का देहान्त सन् 2005 में हो गया।

उक्त हनुमान प्रसाद के विधिक प्रतिनिधिगण वादी संख्या 6, 7, पुत्र व प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 15 व मु0 लक्ष्मी पुत्रीगण हुए। उक्त मु0 लक्ष्मी का देहान्त हो गया । जिसके विधिक प्रतिनिधगण प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 पति ,पुत्र व पुत्री होने से हैं।

उक्त हनुमान प्रसाद की पुत्री प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 15 व श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने पिता की सम्पति में कोई हिस्सा नही लिया । उक्त हनुमान प्रसाद की अन्य संपतियों में भी प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 15 व श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने भाई वादी संख्या 6 व 7 के हक में अपना हिस्सा छोड़ दिया । इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 19 का जमीन जैर बहस में कोई हिस्सा नही है ।

उक्त प्रहलाद उर्फ प्रहलाद राय पुत्र कुरडा का भी देहान्त सन् 2019 में हो गया और उसकी स्त्री का भी देहान्त हो गया । उक्त प्रहलाद उर्फ प्रहलाद राय के विधिक प्रतिनिधिगण वादीगण 01 लगायत 05 पुत्र व पुत्री होने से है।

कस्बा पिलानी में श्योनारायण उर्फ शिवकरण पुत्र बिन्जा जाति माली नामक व्यक्ति हुआ । उक्त श्योनारायण उफ शिवकरण का देहान्त सन् 1999 में हो गया और उसकी स्त्री श्रीमती जमना देवी का देहान्त सन् 2012 में हो गया। उक्त श्योनारायण उर्फ शिवकरण के विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 पुत्र व पुत्री व नागरमल हुआ। उक्त नागरमल पुत्र श्योनारायण उर्फ शिवकरण का देहान्त हो गया। उक्त नागरमल के विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 11 स्त्री , पुत्र व पुत्री होने से है।

यह कि जमीन जैर बहस पहले तत्कालिन ठिकाना नवलगढ के तहत की कृषि भुमि थी । जिसका पानेदार ठाकुर बागसिंह जीवण सिंह थें। उक्त पानेदारों ने जमीन जैरबहस को माफी में गोपाल वल्द सावलराम कोम पिरोहित साकीन झुन्झुनु को दी गयी थी । इस प्रकार जैर बहस गोपाल वल्द सावलराम पिरोहित की माफी में थी।

उक्त गोपाल वल्द सांवलराम ने लगान के बदले काश्त हेतु जमीन जैर बहस को कुरडा पुत्र केशु को काश्त में दे दी थी। मिशल सम्वत 1999 में जमीन बहस के खातेदार के कॉलम में वादीगण एवं प्रतिवादी गण संख्या 12 लगायत 19 के पूर्वज कुरडा पुत्र केशु का नाम दर्ज हुआ । ठिकाना व जागीरदारी खालसा होने के बाद व राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने के बाद जमीन जैर बहस का लगान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 19 के पूर्वज कुरडा ने राजस्थान सरकार को अदा किया । इस प्रकार जमीन जैर बहस का बाई ऑपरेशन आफ लॉ वादीगण का पूर्वज कुरडा टिनेन्ट हो गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

माफी की कृषि भुमियों का सेटलमैन्ट सॅवत 2017–18 में हुआ । उक्त सेटलमैन्ट के दौरान माफी की कृषि भूमियों की खातेदारी कब्जा काश्त व मिशल हैकियत सम्वत 1999 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 के अनुसार दर्ज करनी चाहिये थी। भू-प्रबन्ध विभाग को खातेदारी देने व खत्म करने का क्षेत्राधिकार नही था। भु–प्रबन्ध विभाग के दोरान खतौनी सम्वत 2018 बनी उसमे गलती से वादीगण के पूर्वज कुरडा के साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वज श्योनारायण पूत्र बिंजा का नाम दर्ज कर दिया जबकि उक्त श्योनारायण का जमीन जैर बहस पर कभी कब्जा काश्त नही रहा । कानुन से सैटलमैन्ट विभाग को वादीगण के पूर्वज कुरडा की खातेदारी खत्म कर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 11 के पूर्वज श्योनारायण की 1/2 हिस्से की खातेदारी गलत कर दी । इस कारण जमीन जैर बहस में वादीगण संख्या 6 व 7 को 1/2 बहिस्सा के कोंटिनेन्टस(सहआयामी)है। इस प्रकार वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है।

यह कि जमीन जैर बहस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 का व उनके पूर्वज श्योनारायण उर्फ शिवकरण का कभी कब्जा काश्त नही रहा तथा न ही आज दिनांक तक है। भू–प्रबन्ध विभाग की गलती से प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 11 के पूर्वज श्योनारायण उर्फ शिवकरण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया और सामान्य प्रकिया के तहत श्योनारायण उर्फ शिवकरण के फौत होने के बाद उसके वारिसों के नाम गलत फौत का नामान्तकरण हुआ। इस प्रकार जमीन जैर बहस के बाबत वादीगण के पूर्वज कुरडा का गलती से 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 के पूर्वज के नाम दर्ज कर दिया । जबकि संपूर्ण जमीन जैर बहस वादीगण व उनके पूर्वज की रही हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वज के नाम ही बिना कोई अधिकार के नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार श्योनारायण उर्फ शिवकरण को ही कोई जमीन जैर बहस में अधिकार नही मिले तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को कोई अधिकार ही नही बनता।

वादीगण ने जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिए प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को कहा तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 ने वादीगण को कहा कि उनका वादीगण की कृषि भुमि में कोई हिस्सा नही है तथा न ही उनका जमीन जैर बहस पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा हैं। इस बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 ने वादीगण के हक में एक लिखावट भी स्टाम्प परी लिखकर दे दी थी । इस प्रकार वादीगण जमीन हाल खसरा नबंर 274 रकबा 1.66 है0 हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 2.45 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 4.11 है वाके सरहद कस्बा पिलानी में वादीगण संख्या 1 लगायत 05 का 1/2 हिस्सा वादीगण 6 व 07 का 1/2 बहिस्सा के राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती करवाने हेतु खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वाद प्रस्तुत होने पर दिनांक 28.07.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनिल शर्मा ने दिनांक 05.09.2023 को इकबालिया जवाब वाद पेश किया । एवं प्रतिवादीगण संख्या 20, 21, 22 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। उक्त कार्यवाही पश्चात पत्रावली दिनांक 22.09.2023 में रखी गयी। दिनांक 22.09.2023 को पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 10.10.2023 को रखी गयी। दिनांक 10.10.2023 को वकील वादीगण द्वारा शपथ पत्र बयान चीफ पी–डब्लयू1 द्वारा श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री स्व0 प्रहलादराय , पी–डब्लयू2 द्वारा जगदीश पुत्र श्री स्व0 प्रहलादराय , पी–डब्लयू3 द्वारा शुभकरण पुत्र श्री स्व0 हनुमान प्रसाद ने पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 17.10.2023 को रखी गयी। दिनांक 07.05.2024 को अधिवक्ता की बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17.05.2024 में रखी गयी। दिनांक 23.01.2025 को वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मिशल तलबी पेश किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

जिसमें वादीगण द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.02.2025 नियत है। वादीगण ने निवेदन किया कि उक्त पत्रावली आज की तारीख पेशी में ली जाकर निर्णय करने का निवेदन किया। उक्त पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन बाद एवं वादीगण की बहस सुनने के पश्चात बहस पर मनन किया गया। मनन पश्चात प्रार्थना पत्र मिशल तलबी स्वीकार किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबुत का ध्यान पूर्वक अवलोकन व बहस वादीगण पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजो एवं शपथ पत्र बयान चीफ पी–डब्लयू1, पी–डब्लयू2, पी–डब्लयू3 एवं उपलब्ध साक्ष्य सबुतो से यह साबित होता है कि वादीगण जमीन हाल खसरा नबंर 274 रकबा 1.66 है0 हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 2.45 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 4.11 है वाके सरहद कस्बा पिलानी में वादीगण संख्या 1 लगायत 05 का 1/2 हिस्सा वादीगण 6 व 07 का 1/2 बहिस्सा के राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती करवाने हेतु खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है । इसलिये वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वाके कस्बा पिलानी के जमीन हाल खसरा नबंर 274 रकबा 1.66 है0 हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 2.45 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 4.11 है0 में वादीगण संख्या 1 लगायत 05 का 1/2 हिस्सा वादीगण 6 व 07 का 1/2 बहिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा रहननामा उनके हिस्से तक कायम किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में कोई बाधा कारित नही करें। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/02/2025...... को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्री सुशील सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–173/2023
ओमप्रकाश बनाम मदनलाल वगै0
निर्णय दिनांकः– 06/02/2025

मूल वाद में (अंतिम) डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
श्री सुशील सैनी(आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारीः–

मु0नं0 173/2023
निर्णय दिनांकः– 06/02/2025

ओमप्रकाश बनाम मदनलाल वगै0

दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

ादीगण द्वारा इस वाद मे आज की तारीख .... को सुशील सैनी उपखंड अधिकारी ूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डेकी दी जाती है कि–

"अतः वाद वादीगण डिकी किया जाता है कि वाके कस्बा पिलानी के जमीन ाल खसरा नबंर 274 रकबा 1.66 है0 हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.11 है0 में वादीगण संख्या 1 लगायत 05 का 1/2 हिस्सा वादीगण 6 व 7 का 1/2 बहिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा रहननामा उनके हिस्से तक ायम किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे ादीगण के कब्जा काश्त में कोई बाधा कारित नही करें। तहसीलदार पिलानी को आदेशित ेया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो ंबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया ावे।"

वर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 06/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी ायी।

(श्री सुशील सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़